



सत्यमेव जयते

The Kolkata Gazette

Extraordinary
Published by Authority

Tuesday, December 10, 2024

PART II - Advertisements, Notices

Notice

No legal responsibility is accepted for the publication of advertisements/ public notices in this part of the Kolkata Gazette. Persons notifying the advertisements/ publications will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By Order,
Public Enterprises &
Industrial Reconstruction Department
Government of West Bengal

THE KOLKATA GAZETTE, EXTRAORDINARY, December 10, 2024

Application for Publication of Public Notice

I CHANDAN CHATTERJEE, son of LATE SUNIRMAL CHATTERJEE R/o QTR NO.- 4/92, HALDIA TOWNSHIP, HALDIA (M), PURBA MEDINIPUR, WEST BENGAL, PIN- 721607, have been authorized by the SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT KOLKATA to publish the Rules & Regulations as per the enclosed text matter.

It is certified that, I on behalf of SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT KOLKATA have complied with all other legal requirements in this connection.



The information published in this Gazette Notification has been provided by me, this is true & correct to the best of my knowledge and belief.
If any legal issue arises in this regard at any stage, I shall be personally responsible for any consequences arising therefrom.

सयामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता
Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata

No. SMPK/06/2024-25

NOTIFICATION

To whomsoever it may concern

The Board of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (SMPK) in its meeting held on 29.05.2024 resolved to sanction Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata Marine Services (Training, Grading and Seniority) Regulations, 2024, subject to the approval of Central Government. The said draft Regulations pursuant to Clause – c of sub-section (2) of Section 72 read with Clause-b of sub-section (1) of Section 18 of Major Port Authorities Act, 2021, is being notified hereto for general information of public. If anybody has any observation with regard to the said draft Regulations, the same may be intimated to Secretary, SMPK, 15, Strand Road, Kolkata- 700 001 in writing either by post or through e-mail (id- secretary@kolkataporttrust.gov.in) within one month from the date of publication of this notification in the Kolkata Gazette. It will, thereafter, be sent to Central Government for consideration and approval.

2. The said Notification, when approved by the Central Govt., and be given effect to on a certain date, shall supersede all previous regulation/s abided by SMPK so far.

Sd/-
(C. Chatterjee)
Secretary
On behalf of
Board of Syama Prasad Mukherjee Port, Kolkata

Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata Marine Services (Training, Grading and Seniority) Regulations, 2024

Chapter – I

GENERAL

1. Short title, Commencement and Application:

- (i) These regulations may be called the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata Marine Services (Training, Grading and Seniority) Regulations, 2024.
- (ii) They shall apply to all officers of Pilot Service, River Survey Service, Dredger and Despatch Service and Berthing Service of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (SMPK) including Trainees under these services.
- (iii) They shall come into force on the date as will be indicated in the relevant Official Gazette.

2. Definitions: In these regulations, unless context otherwise requires-

- (i) "Act" means the Major Port Authorities Act, 2021 (No.1 of 2021 dated 17.02.2021).
- (ii) "Board" means the Board of Major Port Authority of SMPK.
- (iii) "Chairperson" means the Chairperson of SMPK.
- (iv) "The Marine Services" means the Pilot Service, River Survey Service, Dredger and Despatch Service and Berthing Service of SMPK.
- (v) "Director, Marine Department" means the Head of the Marine Department appointed by the Central Government as such for SMPK and port approaches (and includes any other officer acting under his authority) to exercise or perform the functions under the Indian Ports Act, 1908.
- (vi) "General Manager (Marine), Haldia Dock Complex" means the Head of Marine Operations Division of Haldia Dock Complex, SMPK appointed by the Central Government as such for SMPK.
- (vii) "Harbour Master (Port)" means the officer for the time being holding the post of the Harbour Master (Port) [HM(P)] in SMPK.
- (viii) "Harbour Master (River)" means the officer for the time being holding the post of the Harbour Master (River) [HM(R)] in SMPK.
- (ix) "Chief Hydrographer" means the officer for the time being holding the post of the Chief Hydrographer (CH) in SMPK.
- (x) "Superintendent, Dredging and Despatch Service" means the officer for the time being holding the post of the Superintendent, Dredging and Despatch Service (SDDS) in SMPK.
- (xi) "Manager, Marine Operations, Haldia" means the officer for the time being holding the post of the Manager, Marine Operations, Haldia Dock Complex (MMOH) in SMPK.

- (xii) "Dy. Dock Master" means the officer for the time being holding the post of Dy. Dock Master" either at Kolkata Dock System (KDS) or at Haldia Dock Complex (HDC) in SMPK.
- (xiii) "Harbour Section" means the Section under the control of the Harbour Master (Port).
- (xiv) "River Section" means the Section under the control of the Harbour Master (River).
- (xv) "Chief Medical Officer" means the officer for the time being holding the post of Chief Medical Officer (CMO) in SMPK.
- (xvi) "Appointing Authority" shall have the same meaning as prescribed in the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations.

3. Authority to hold examinations for grant of Pilot's License and periodicity:

- (i) The examination for all classes of Pilot's Licenses shall be conducted by a Board of Examiners constituted by the Director, Marine Department as the President of such Board.
- (ii) The examination shall be held once a month, other than in exceptional circumstances, after an officer has completed the requisite training period and expressed his willingness in writing to appear for the same.

4. Training scope and syllabus:

- (i) The period and nature of training of all entrants shall be determined by the Director, Marine Department on the basis of their entry qualification, aptitude and progress of training.
- (ii) During the training period, a trainee may be posted on SMPK owned /hired vessels, Oil jetties at Haldia and BajBaj, on anchored vessels, Sagar Pilot Station, VTMS stations and also maybe sent for on-job training with regular pilots in the river, in harbour side and within the impounded dock systems at KDS/HDC, as per requirement.
- (iii) A candidate shall satisfy the Board of Examiners about his knowledge of the River Hooghly including the sea area in the port approaches, knowledge of ship-maneuvering in the impounded dock systems of KDS and HDC (as applicable), Moorings, Rules of the Road and the handling of vessels of applicable type, tonnage and draft and other miscellaneous responsibilities and duties appertaining to the grade for which the examination is being held.
- (iv) Extant rules, syllabus and system of the Directorate General of Shipping shall prevail upon all trainees requiring to pass any of the prescribed examinations (*including medical fitness and eyesight*) to be conducted by the Directorate General of Shipping.

5. Inter-se seniority of the trainees/officers:

The inter-se seniority of Trainees/officers in a particular Section shall be determined on the following basis:

- a) In a batch, their inter-se seniority in a particular Section will be in accordance with the order of merit as determined by the Selection Committee of SMPK at the time of selection;
 - b) In absence of such assessment of merit by the Selection Committee at the time of selection of a batch of Trainees in a particular Section, the inter-se seniority will be determined on the basis of the dates of their joining. Where the joining date is same, the inter-se seniority of the officers concerned in a particular Section shall be determined by their recorded age.
 - c) A Trainee on confirmation as a regular officer in a particular Section shall be deemed to be senior to those who are confirmed later in the same Section, irrespective of the order of merit as determined by the Selection Committee of SMPK at the time of selection. Provided that if two or more Trainees are confirmed on the same date, their inter-se seniority at the time of selection will remain unaffected.
 - d) When an officer, even after confirmation in a regular pay scale in a particular Section, passes the next prescribed examination in the training schedule, he will become senior to those who have not passed the said examination by that time. Thus, a Pilot Grade III, who passes the Grade II examination earlier than a Pilot Grade III senior to him, will be deemed to have superseded him and a Pilot Grade II, who passes the Grade I examination earlier than a Pilot Grade II senior to him, will become senior to all those who have not passed the above examination by that time. Similarly, a Probationary Hydrographer/Sr. Hydrographer, who passes the Final departmental examination earlier than an officer senior to him, will automatically be deemed to have become senior to those officers who have not passed the said examination by that time.
- 6. Failure to pass examination:** If a Trainee/Probationer fails to qualify in any of the prescribed examinations in three attempts, his services are liable to be terminated.

Chapter – II

PILOT SERVICE

1.0 Entry Qualification: Qualification required for entry into the Pilot Service shall be any one of the following:

- (i) Certificate of Competency as Master (FG)/Dredge Master Grade-I or equivalent;
Or
- (ii) Certificate of Competency as First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II;
or
- (iii) Certificate of Competency as Second Mate (FG)/ Dredge Mate Grade-I;
or
- (iv) B.Sc. Nautical Science with minimum 60% marks in aggregate.

2.0 Grade /Designation:

- (i) An entrant to the Pilot Service shall be known as a Trainee Pilot.

- (ii) For the purpose of pilotage, there shall be three grades of Pilots e.g. Grade I, Grade II and Grade III. A Trainee Pilot on posting as a regular Pilot shall be eligible for higher grading in due course subject to fulfillment of requisite conditions as laid down in these Regulations.
- (iii) The training programme for Kolkata pilots shall be divided into two stages viz.
 - a) Part "A" i.e. for River Section from Sandheads to Garden Reach and vice versa. (b) Part "B" i.e. for Harbour Section from Budge Budge Boundary Pillars upwards and vice versa.
- (iv) The training programme for Haldia pilots shall be only for the river section from Sandheads to Haldia.

3.0 Training Schedule for Kolkata Pilots under Harbour Master (River)

3.1 For Trainees joining with Master (FG) Degree Master Grade – 1 and equivalent Certificate:

Grade	Training Period
Master FG/Dredge Master Grade 1	<p>(i) On completion of 9 months of training, he shall appear for preliminary oral examination conducted by a Committee comprising HMR and MMOH. Thereafter, on passing the above examination, he will be eligible to appear for, Part A of Grade III Pilot Examination, provided, he has attended 100 jobs during his training period.</p> <p>(ii) On passing Grade III Part A examination, he shall take independent charge of jobs on draft and lengths prescribed for Grade III for a period of 3 months during which his work will be under examination. After attending at least 30 independent jobs, he shall commence his training under Harbour Master Port.</p>

3.1.1 Further, remission of 1 month will be granted if the Trainee Pilot undergoes simulator training in IIT Madras or in-house simulator for a period of 2 weeks.

3.2 For Trainees Joining with First Mate (FG) /Dredge Master Grade – II Certificate:

Grade	Training Period
First Mate G/Dredge Master Grade II	<p>(i) On completion of 12 months training, he shall appear for preliminary oral examination conducted by a Committee comprising HMR and MMOH.</p> <p>(ii) After 2 months from passing the preliminary oral examination, i.e., after a total training period of 14 months, subject to completion of at least 100 jobs during his total training period, he shall appear for Grade III Part A Pilot Examination.</p> <p>(iii) On passing Grade III Part A examination, he shall take independent charge of ships having maximum draft and length, as prescribed for Grade III Pilots, for a period of 3 months, during which his work will be under examination. After attending at least 30 independent jobs, he shall commence his training under Harbour Master Port.</p>

3.2.1 Further, remission of 1 month will be granted if the Trainee Pilot undergoes simulator training in IIT Madras or in-house simulator for a period of 2 weeks.

3.3 For Trainees Joining with Second Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I Certificate:

(i) He shall appear for Function-I & Function-III of First Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping on completion of twelve (12) month's training;

(ii) Thereafter, he shall be placed on the same footing as is applicable for trainees joining with First Mate (FG) / Dredge Master Grade-II certificates.

3.4 For Trainees joining with B.Sc. Nautical Science Certificate:

(i) He shall appear for written/oral examinations of Function-I & Function-III of Second Mate (FG) Examination, as may be prescribed and conducted by Director General of Shipping, on completion of twelve (12) month's training.

(ii) After passing Function-I & Function-III of Second Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping, he shall be placed on the same footing as is applicable for trainees joining with Second Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I certificate.

4.0 Training Schedule of Kolkata Pilots under Harbour Master (Port)

- (i) After transfer to Harbour Section, a trainee pilot having passed Part-A, Grade-III examination shall undergo training for a period of four (4) months during which he must have attended at least 80 jobs.
- (ii) He shall satisfy the HMP in a preliminary oral examination on his progress of training and on satisfying the HMP, he shall appear for the examination for Grade III – Part B Pilot License.
- (iii) On passing the examination for Grade III – Part B Pilot License, he shall be issued with a Pilot's license and adjusted in the regular pay scale for pilots. Thereafter, he shall spend one more month for further practical training in the Harbour section during which, his actual performance will be under observation and he will be eligible for posting as a regular Pilot. Confirmation to the post, however, will depend upon the report of his work.

5.0 Training Schedule of Haldia Pilots under Harbour Master (River).

5.1 For Trainees joining with Master (FG) /Dredge Master Grade-I and Equivalent Certificate:

Grade	Training Period
Master FG/Dredge Master Grade I	(i)On completion of 06 months' training, he shall appear for preliminary oral examination conducted by a Committee comprising IIMR and MMOH. Thereafter, on passing the above examination, he will be eligible to appear for Part A of Grade III Pilot Examination, provided, he has attended 100 jobs during his training period. (ii)On passing Grade III Part A examination, he shall be issued

with a Haldia Pilot Licence and adjusted in the regular scale of Pilots. Confirmation to the post, however, will depend upon the report of his work.

5.1.1 Further, remission of 1 month will be granted if the Trainee Pilot undergoes simulator training in IIT Madras or in-house simulator for a period of 2 weeks.

5.2 For Trainees joining with First Mate (FG)/Dredge Master Grade – III Certificate:

Grade	Training Period
First Mate G/Dredge Master Grade II	<p>(i) On completion of 09 months' training, he shall appear for preliminary oral examination conducted by a Committee comprising HMR and MMOH.</p> <p>Thereafter, on passing the above examination, he will be eligible to appear for Part A of Grade III Pilot Examination provided, he has attended 100 jobs during his training period.</p>
	<p>(ii) On passing Grade III Part A examination, he shall be issued with a Haldia Pilot Licence and adjusted in the regular scale of Pilots. Confirmation to the post, however, will depend upon the report of his work.</p>

5.2.1 Further, remission of 1 month will be granted if the Trainee Pilot undergoes simulator training in IIT Madras or in-house simulator for a period of 2 weeks.

5.3 For Trainees joining with Second Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I Certificate:

(i) He shall appear for Function-I & Function-III of First Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping on completion of twelve (12) month's training;

(ii) Thereafter, he shall be placed on the same footing as is applicable for trainees joining with First Mate (FG) / Dredge Master Grade-II certificates.

5.4 For Trainees joining with B.Sc. Nautical Science Certificate:

(i) He shall appear for the written/oral examinations of Function-I & Function-III of Second Mate (FG) Examination as may be prescribed and conducted by Director General of Shipping on completion of twelve (12) month's training.

(ii) After passing Function-I & Function-III of Second Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping, he shall be placed on the same footing as is applicable for trainees joining with Second Mate (FG) / Dredge Mate Grade-I certificates.

6.0 Training of Officers Transferred from River Survey Service to the Pilot Service

(i) Suitable officers of the River Survey Service with a minimum of five (5) years' service and within the age limit of 40 years may be transferred to the Pilot service, if mutually agreed to by the concerned officer and SMPK.

(ii) The training period of such transferred officers shall be determined by the Director, Marine Department depending upon his qualification and experience.

(iii) River survey Officers, already in possession of the Pilot's license for port owned/hired vessel, shall undergo a training of minimum six (6) months in river pilotage before being allowed to appear for Part-A of Grade - III pilot examination subject to satisfactory performance in the preliminary assessment made by the Committee of Harbour Master (River) and Manager Marine Operations, Haldia after attending to at least 50 jobs.

(iv) On passing the Pilot Part-A of Grade-III pilot examination, he shall be placed in similar footing as is applicable to the trainees who have passed Part-A of Grade-III pilot examination.

7.0 Training of officers transferred from the berthing master's service to the pilot service.

(i) Suitable willing officers of the Berthing Service with a minimum of five (5) years service as Dock Pilot and within the age limit of 40 years may be transferred to the Pilot service provided, he is in possession of either 2nd Mate (FG) or Dredge Mate-Grade-I certificate or have passed written/oral examinations on Function I & Function-III of Second Mate (FG) Examination, as may be prescribed and conducted by Director General of Shipping.

(ii) A selected officer of Berthing service shall be placed on the same footing as Trainee Pilots with the Certificate of competency as Second Mate (FG) for the purpose of further training.

7.1 Officers of River Survey Service and Berthing Service, when transferred to the pilot cadre at Haldia, shall not be required to undergo Harbour training applicable for Kolkata Pilots.

7.2 Qualifying Time for Higher Grades:

7.2.1. KOLKATA-RIVER-SECTION

i. Grade-II

On posting as a regular pilot, the incumbent shall work as Grade III Pilot for a period of six (6) months in the Harbour Section and thereafter, alternately in River and Harbour Sections for a period of three (3) years. Thereafter, he would be qualified to appear for Grade II Pilot's examination. On passing this examination, a Grade III Pilot shall be qualified and designated as Grade II Pilot

ii. Grade-I

A Grade II Pilot shall be required to work alternately in River and Harbour Section and will be eligible to appear for Grade I Pilot's examination after working as a Grade II Pilot in the river for a period of twelve (12) months. On passing this examination and on completion of total twelve (12) years service as pilot, he shall be qualified and graded as Grade I pilot.

7.2.2 KOLKATA-HARBOUR SECTION

Adjustment in the Harbour Section shall be determined on the following basis:-

i) Adjustment to Grade II

He shall be a Grade II pilot in the River Section and have satisfactorily completed 150 jobs in the Harbour Section as a Grade III pilot.

ii) **Adjustment Grade I**

He must be a Grade I pilot in the River Section and have satisfactorily completed 200 jobs in the Harbour Section as a Grade II pilot.

7.2.3. HALDIA PILOT

i) **Grade-II**

On posting as a regular pilot, the incumbent shall work as Grade III Haldia Pilot for a period of three (3) years. Thereafter, he would be qualified to appear in Grade II Haldia Pilot's examination. On passing this examination, a Grade III Haldia Pilot will be qualified and designated as Grade II Haldia Pilot.

ii) **Grade-I**

A Grade II Haldia Pilot shall be eligible to appear in Grade I Haldia Pilot's examination after working as a Grade II Haldia Pilot for a period of twelve (12) months. On passing this examination and on completion of twelve (12) years service as pilot, he will be qualified and graded as Grade I Haldia pilot.

7.3 Transfer of Haldia Pilot to Kolkata Pilot: A Haldia pilot after being transferred to Kolkata shall be required to undertake fresh training in the Kolkata channel and pass requisite examinations prescribed for Kolkata Pilots. The period of such training shall be determined by the Director, Marine Department depending upon the qualification and experience of the officer.

7.4 Working Programme

i) The Pilots Grade I, Grade II and Grade III shall be authorized to Pilot ships of tonnage, length and draft, as may be specified for the different grades by the HM(P) and HM(R), from time to time. In exigencies as well as when considered necessary, the HM(P) and HM(R) will have the authority to direct the pilots to handle ships of grades other than their own.

ii) The Pilots, in addition to pilotage duties, shall be required to carry out any other duties in their field of work as may be assigned to them by the administration. A Pilot, irrespective of his grade, shall work alternately in the Harbour and River Sections as per schedule. Director, Marine Department may, however, alter the posting of any officer from one Section to the other or may extend or reduce the duration of the posting of any officer in any section at any time in the exigencies of work.

Chapter-III

RIVER SURVEY SERVICE

8. Entry Qualification: Qualification required for entry into the River Survey Service shall be any one of the following:

- i) Certificate of Competency as First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II;

or

- ii) Certificate of Competency as Second Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I;
or
- iii) B.Sc. Nautical Science with minimum 60% marks in aggregate.

9. Grade/Designation:

- i) An entrant to the River Survey Service shall be known as a Probationary Hydrographer.
- ii) The period of training of Probationary Hydrographers shall be determined by the Director, Marine Department on the basis of their entry qualification, aptitude and progress of training.
- iii) There will be two departmental examinations. Each departmental examination on Hydrography and allied subjects shall comprise three sections viz. practical, written and orals which shall be conducted by a board of minimum three examiners headed by the Chief Hydrographer of SMPK.

10.1. For Probationary Hydrographers joining with First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II Certificate:

- i) On completion of twelve (12) month's training, he shall appear in the First Departmental examination on Hydrography and allied subjects before official(s) nominated by DMD.
- ii) On completion of further twelve (12) month's training after passing the First Departmental examination i.e. after a total training of minimum twenty four (24) months, he shall appear for the Final Departmental Examination on Hydrography and allied subjects before official(s) nominated by DMD. On passing the said examination, he may be designated as Senior Hydrographer.
- iii) The candidate shall be eligible to appear in the Pilotage examination for port owned/hired vessels six 6 months after passing the Final Departmental Examination. On passing the pilot examination, he may be designated as Master Hydrographer.

10.2 For Probationary Hydrographers joining with Second Mate (FG) /Dredge Mate Grade-I Certificate:

- i) He shall appear for Function I & Function III of First Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping on completion of twelve (12) month's training;
- ii) Thereafter, he shall be placed on the same footing as is applicable for probationary Hydrographers joining with First Mate (FG) /Dredge Master Grade-II certificate.

10.3 For Probationary Hydrographers joining with B.Sc. Nautical Science Certificate:

- i) He shall appear for written/oral examination of Function-I & Function-III of Second Mate (FG) Examination, as may be prescribed and conducted by Director General of Shipping, on completion of twelve (12) month's training.
- ii) He shall appear for Function-I & Function-III of First Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping twelve (12) month's after passing Function-I & Function-III of Second Mate (FG) Examination i.e. on completion of a total 24 month's training;

iii) Thereafter, he shall be placed on the same footing as is applicable for Probationary Hydrographers joining with First Mate (FG) /Dredge Master Grade-II certificates.

Chapter-IV

DREDGER AND DESPATCH SERVICE

11. Entry Qualifications: Qualification required for entry into the Dredger and Despatch Service shall be any one of the following:-

i) Certificate of Competency as Master (FG)/Dredge Master Grade-I or equivalent;

or

ii) Certificate of Competency as First Mate (FG) /Dredge Master Grade-II;

or

iii) Certificate of Competency as Second Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I;

or

iv) B.Sc. Nautical Science with minimum 60% marks in aggregate /Dredge Mate Grade-II.

11.1 For Trainees joining with Master (FG)/Dredge Master Grade-I and Equivalent Certificate:

i) An officer in possession of Master (FG)/Dredge Master Grade-I/equivalent Certificate may join as Probationary Commander, Dredger & Despatch Service.

ii) He shall undergo a minimum period of one (1) year's training on port vessels out of which six months must be spent on the dispatch work. Thereafter, he shall be eligible to appear in the Pilot examination for port owned/hired vessels.

iii) On completion of training for a further period of six (6) months, he shall be eligible to take independent charge of a Dredger & Despatch vessel as Commander;

11.2 For Trainees joining with First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II certificate:

i) An officer in possession of First Mate (FG)/Dredge Master Grade II certificate shall join as Probationary Chief Officer, Dredger & Despatch Service.

ii) He shall undergo a minimum period of one (1) year's training on port vessels out of which six months must be spent on the dispatch work. Thereafter, he shall be eligible to appear for the Pilot examination for port owned/hired vessels.

iii) On completion of training for a further period of six (6) months after passing pilot examination i.e. on completion of a total training of one and a half (1 ½) year, he shall be eligible to appear for Dredge Master Grade-I Examination.

iv) On passing the Dredge Master Grade-I Examination, he may be promoted to the post of Commander, subject to availability of a suitable vacancy.

v) On completion of a further period of six (6) month's training after passing Dredge Master Grade-I Examination, he shall be eligible to take independent charge of a Dredger & Despatch vessel as Commander.

11.3 For Trainees joining with Second Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I Certificate:

i) An officer in possession of Second Mate (FG)/Dredge mate Grade I certificate may join as Probationary Second Officer, Dredger & Despatch service.

ii) He shall undergo a minimum period of one and a half (1 ½) year training on port vessels out of which six months must be spent on the dispatch work. Thereafter, he shall be eligible to appear for the Dredge Master Grade II examination.

iii) On passing Dredge Master Grade-II examination, he may be designated as Probationary Chief Officer and placed on the same footing as is applicable to the probationers joining with the First Mate (FG)/Dredge Master-Grade-II certificate.

11.4 For Trainees joining with B.Sc/ Nautical Science/Dredge Mate Grade-II Certificate

i) An officer with Dredge Mate-Grade-II or B.Sc. Nautical Science Certificate will join as a Trainee, Dredger & Despatch Service.

ii) He shall undergo a minimum period of one and a half (1 ½) year training on port vessels out of which six months must be spent on the dispatch work. Thereafter, he shall be eligible to appear for the Dredge Mate-Grade-I examination.

iii) On passing the Dredge Mate-Grade-I examination, he may be designated as Probationary Second Officer and placed on the same footing as is applicable to the probationers joining with the 2nd Mate (FG)/Dredge Mate Grade I certificate.

Chapter- V

BERTHING SERVICE

12 Entry Qualification: Qualification required for entry into the Berthing Service shall be Certificate of Competency as Master (HT) or Master (NCV) or Second Mate (FG) or Dredge Mate Grade-I or B.Sc. Nautical Science with minimum 60% marks in aggregate.

12.1 On joining, an officer shall be designated as Apprentice Dock Pilot.

12.2 He shall undergo a training of one year under the supervision of the Dy. Dock Master and appear before him for an oral examination.

12.3 Thereafter, he shall undertake a further training of one year and satisfy the HMP or MMOH, as may be relevant, on his progress of training. On satisfying the HMP or MMOH, he shall be eligible to appear for the Dock Pilot examination under Marine Service Board.

12.4 After passing the Dock pilot examination, he may be designated as Dock Pilot and adjusted in the regular pay scale of Dock Pilot.

Chapter-VI

REPEAL, INTERPRETATION AND RELAXATION OF THE PROVISION OF THE REGULATION

13.1 Repeal: CALCUTTA PILOT SERVICE (other than Haldia Dock Complex) (Training, Grading and Seniority) Regulations, 1990 notified under G.S.R. 24(E) dated 21.01.1990 are hereby repealed.

Provided that-

(a) Such repeal shall not affect the previous operation of the said Regulations or orders or practices or anything done or action taken thereunder,; and

(b) Any proceeding under the said Regulations pending at the commencement of these Regulations shall be conducted and disposed of, as far as possible, in accordance with these Regulations.

13.2 Interpretation: In case of any doubt or difference of opinion about the interpretation and application of any of these regulations, the same shall be referred to the Chairperson, SMPK whose decision shall be final.

13.3 Relaxation of the Provision of the Regulation: Notwithstanding anything contained in these regulations, the Government, at its discretion, may relax any of these regulations mentioned herein in exigencies of work or situation, the reasons for which shall be recorded in writing.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता
Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata

सं.एसएमपीके/06/2024-25

अधिसूचना

जो भी इससे संबंधित है

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके) के बोर्ड ने दिनांक 29.05.2024 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्र सरकार की मंजूरी के अधधीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता समुद्री सेवा (प्रशिक्षण, ग्रेडिंग और वरिष्ठता) विनियम, 2024 को मंजूरी देने का संकल्प लिया। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड-बी के साथ पठित धारा 72 की उप-धारा (2) के खंड-सी के अनुसरण में उक्त मसौदा विनियम, जन के सामान्य जानकारी के लिए यहां अधिसूचित किया जा रहा है। यदि किसी को पास उक्त मसौदा विनियम के संबंध में कोई टिप्पणी है, तो उसे सचिव, एसएमपीके, 15, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता- 700 001 को डाक द्वारा या ई-मेल (आईडी- secretary@kolkataporttrust.gov.in) के माध्यम से कोलकाता राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जा सकता है। इसके बाद इसे केंद्र सरकार को विचार और अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

2. उक्त अधिसूचना, जब केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाएगी, और एक निश्चित तारीख को प्रभावी हो जाएगी, तो एसएमपीके द्वारा अब तक पालन किए जा रहे सभी पिछले विनियम/विनियमों का स्थान ले लेगी।

ह./-
(सी.चटर्जी)
सचिव
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के बोर्ड
की ओर से

**श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता समुद्री सेवा
(प्रशिक्षण, ग्रेडिंग और वरिष्ठता) विनियम, 2024**

अध्याय 1

सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और अनुप्रयोग:

- (i) इन विनियमों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता समुद्री सेवा (प्रशिक्षण, ग्रेडिंग और वरिष्ठता) विनियम, 2024 कहा जा सकता है।
- (ii) वे इन सेवाओं के तहत प्रशिक्षुओं सहित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके) की पायलट सेवा, नदी सर्वेक्षण सेवा, ड्रेजर और डिस्पैच सेवा और बर्थिंग सेवा के सभी अधिकारियों पर लागू होंगे।
- (iii) वे संबंधित आधिकारिक राजपत्र में निर्दिष्ट तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ: इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (i) "अधिनियम" का अर्थ है महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 की संख्या 1 दिनांक 17.02.2021)।
- (ii) "बोर्ड" का अर्थ एसएमपीके के महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड है।
- (iii) "अध्यक्ष" का अर्थ एसएमपीके का अध्यक्ष है।
- (iv) "समुद्री सेवाएँ" का अर्थ है एसएमपीके की पायलट सेवा, नदी सर्वेक्षण सेवा, ड्रेजर और प्रेषण सेवा और बर्थिंग सेवा।
- (v) "निदेशक, समुद्री विभाग" का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा एसएमपीके के लिए और पत्तन संपर्कों से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने अथवा भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के तहत कार्य करने हेतु नियुक्त समुद्री विभाग का प्रधान (और उनके प्राधिकार के तहत कार्य करने वाले अन्य अधिकारी सहित)।
- (vi) "महाप्रबंधक (समुद्री), हल्दिया गोदी परिसर" का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा एसएमपीके के लिए नियुक्त हल्दिया गोदी परिसर, एसएमपीके के समुद्री संचालन प्रभाग का प्रमुख।
- (vii) "हार्बर मास्टर (पोर्ट)" का अर्थ एसएमपीके में हार्बर मास्टर (पोर्ट) [एचएम (पी)] का पद संभालने वाला अधिकारी है।

- (viii) "हारबर मास्टर (नदी)" का अर्थ है एसएमपीके में हारबर मास्टर (नदी) [एचएम (आर)] का पद संभालने वाला अधिकारी।
- (ix) "मुख्य हाइड्रोग्राफर" का अर्थ एसएमपीके में मुख्य हाइड्रोग्राफर (सीएच) का पद संभालने वाला अधिकारी है।
- (x) "अधीक्षक, ड्रेजिंग और प्रेषण सेवा" का अर्थ एसएमपीके में अधीक्षक, ड्रेजिंग और प्रेषण सेवा (एसडीडीएस) का पद संभालने वाला अधिकारी है।
- (xi) "प्रबंधक, समुद्री परिचालन, हल्दिया" का अर्थ है एसएमपीके में प्रबंधक, समुद्री संचालन, हल्दिया गोदी परिसर (एमएमओएच) का पद संभालने वाला अधिकारी।
- (xii) "डिप्टी डॉक मास्टर" से तात्पर्य उस अधिकारी से है जो वर्तमान में एसएमपीके की कोलकाता गोदी प्रणाली (केडीएस) या हल्दिया गोदी परिसर (एचडीसी) में "डॉक मास्टर" का पद संभाल रहा है।
- (xii) "हारबर अनुभाग" से तात्पर्य हारबर मास्टर (पोर्ट) के नियंत्रण के अधीन अनुभाग से है।
- (xiv) "नदी खंड" से तात्पर्य हारबर मास्टर के नियंत्रण के अधीन खंड से है।
- (xv) "मुख्य चिकित्सा अधिकारी" से तात्पर्य उस अधिकारी से है जो वर्तमान में एसएमपीके में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के पद पर कार्यरत है।
- (xvi) "नियोक्ता प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम में निर्धारित है।

3. पायलट लाइसेंस प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करने का प्राधिकरण और आवधिकता:

- (1) पायलट लाइसेंस की सभी श्रेणियों के लिए परीक्षा, समुद्री विभाग के निदेशक द्वारा ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में गठित परीक्षक बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी।
- (ii) यह परीक्षा, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, महीने में एक बार आयोजित की जाएगी, जब अधिकारी ने अपेक्षित प्रशिक्षण अवधि पूरी कर ली हो और लिखित रूप में इसमें शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी हो।

4. प्रशिक्षण का दायरा और पाठ्यक्रम:

- (i) सभी प्रवेशकों के प्रशिक्षण की अवधि और प्रकृति का निर्धारण निदेशक, समुद्री विभाग द्वारा उनकी प्रवेश योग्यता, अभिरुचि और प्रशिक्षण की प्रगति के आधार पर किया जाएगा।
- (ii) प्रशिक्षण अवधि के दौरान, प्रशिक्षु को एसएमपीके के स्वामित्व वाले/किराए के जहाजों, हल्दिया और बजबज में तेल जेटी, लंगर किए गए जहाजों, सागर पायलट स्टेशन, वीटीएमएस

स्टेशनों पर तैनात किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार नदी में, पत्तन की ओर और केडीएस/एचडीसी में परिबद्ध प्रणालियों के भीतर नियमित पायलटों के साथ ऑन-जॉब प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जा सकता है।

- (iii) अभ्यर्थी को हुगली नदी के बारे में अपने ज्ञान, यथा, पत्तन के प्रवेश द्वारों में समुद्री क्षेत्र, केडीएस और एचडीसी (जहां लागू हो) की परिबद्ध गोदी प्रणालियों में जहाज संचालन के ज्ञान, मूरिंग, सड़क के नियमों और लागू प्रकार, टन भार और ड्राफ्ट के जहाजों का संचालन तथा जिस ग्रेड के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है उससे संबंधित अन्य विविध जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में परीक्षक बोर्ड को संतुष्ट करना होगा।
- (iv) नौवहन महानिदेशालय के मौजूदा नियम, पाठ्यक्रम और प्रणाली उन सभी प्रशिक्षुओं पर लागू होगी जिन्हें नौवहन महानिदेशालय द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी निर्धारित परीक्षा (चिकित्सा योग्यता और दृष्टि सहित) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

5. प्रशिक्षुओं/अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता:

किसी विशेष अनुभाग में प्रशिक्षुओं/अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निम्नलिखित आधार पर निर्धारित की जाएगी:

- क) एक बैच में, किसी विशेष अनुभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, चयन के समय एसएमपीके की चयन समिति द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम के अनुसार होगी;
- ख) किसी विशेष अनुभाग में प्रशिक्षुओं के बैच के चयन के समय चयन समिति द्वारा योग्यता के ऐसे मूल्यांकन के अभाव में, उनकी जॉइनिंग की तिथियों के आधार पर परस्पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। जहां जॉइनिंग की तिथि एक ही है, वहां किसी विशेष अनुभाग में संबंधित अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी दर्ज आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- ग) किसी विशेष अनुभाग में नियमित अधिकारी के रूप में पुष्टि किए जाने पर प्रशिक्षु को उसी अनुभाग में बाद में पुष्टि किए जाने वाले प्रशिक्षुओं से वरिष्ठ माना जाएगा, भले ही चयन के समय एसएमपीके की चयन समिति द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम कुछ भी हो। बशर्ते कि यदि एक ही तिथि पर दो या अधिक प्रशिक्षुओं की पुष्टि की जाती है, तो चयन के समय उनकी परस्पर वरिष्ठता अप्रभावित रहेगी।
- घ) जब कोई अधिकारी, किसी विशेष अनुभाग में नियमित वेतनमान में स्थायी होने के बाद भी, प्रशिक्षण कार्यक्रम में अगली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो वह उन लोगों से वरिष्ठ हो जाएगा, जिन्होंने उस समय तक उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इस प्रकार, एक पायलट ग्रेड III, जो अपने से वरिष्ठ पायलट ग्रेड III की तुलना में ग्रेड II परीक्षा पहले उत्तीर्ण करता है, उसे उसका अधिक्रमण करने वाला माना जाएगा और एक पायलट ग्रेड II, जो अपने से वरिष्ठ पायलट ग्रेड II की तुलना में ग्रेड I परीक्षा पहले उत्तीर्ण करता है, उन सभी लोगों से वरिष्ठ हो जाएगा, जिन्होंने उस समय तक उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसी प्रकार, एक प्रोबेशनरी हाइड्रोग्राफर/सीनियर हाइड्रोग्राफर, जो अपने से वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अंतिम विभागीय परीक्षा पहले उत्तीर्ण करता है, स्वचालित रूप से उन अधिकारियों से वरिष्ठ हो गया माना जाएगा, जिन्होंने उस समय तक उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

6. **परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफलता:** यदि कोई प्रशिक्षु/प्रोबेशनर तीन प्रयासों में किसी भी निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

अध्याय-II

पायलट सेवा

1.0 प्रवेश योग्यता: पायलट सेवा में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता निम्नलिखित में से कोई एक होगी:

(i) मास्टर (एफजी) / ट्रेज मास्टर ग्रेड -I या समकक्ष के रूप में योग्यता प्रमाणपत्र;

या

(ii) प्रथम मेट (एफजी)/ट्रेज मास्टर ग्रेड-II के रूप में योग्यता प्रमाणपत्र;

या

(iii) सेकंड मेट (एफजी) / ट्रेज मेट ग्रेड-I के रूप में योग्यता प्रमाणपत्र;

(iv) बीएससी नॉटिकल साइंस में न्यूनतम 60% अंकों के साथ।

2.0 ग्रेड/पदनाम:

(i) पायलट सेवा में प्रवेश करने वाले को प्रशिक्षु पायलट के रूप में जाना जाएगा।

(ii) पायलटों के प्रयोजन के लिए पायलटों के तीन ग्रेड होंगे, अर्थात् ग्रेड I, ग्रेड II और ग्रेड III। नियमित पायलट के रूप में नियुक्ति पर एक प्रशिक्षु पायलट इन विनियमों में निर्धारित अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के अधीन, यथासमय उच्च ग्रेडिंग के लिए पात्र होगा।

(iii) कोलकाता पायलटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को दो चरणों में विभाजित किया जाएगा।

(क) भाग "ए" अर्थात् सैंडहेड्स से गार्डन रीच तक नदी खंड और इसके विपरीत। (ख) भाग "बी" अर्थात् बज बज सीमा स्तंभों से ऊपर की ओर हार्बर खंड और इसके विपरीत।

(iv) हल्दिया पायलटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल सैंडहेड्स से हल्दिया तक के नदी खंड के लिए होगा।

3.0 हार्बर मास्टर (नदी) के अधीन कोलकाता पायलटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

3.1 मास्टर (एफजी) डिग्री मास्टर ग्रेड I और समकक्ष प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

ग्रेड	प्रशिक्षण अवधि
मास्टर एफजी/ड्रेज मास्टर ग्रेड I	(i) 9 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, उसे एचएमआर और एमएमओएच वाली समिति द्वारा आयोजित प्रारंभिक मौखिक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद, उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, वह ग्रेड III पायलट परीक्षा के भाग ए में बैठने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उसने अपने प्रशिक्षण अवधि के दौरान 100 नौकरियाँ की हों। (ii) ग्रेड III पार्ट ए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, वह 3 महीने की अवधि के लिए ग्रेड III के लिए निर्धारित ड्राफ्ट और लंबाई पर कार्य का स्वतंत्र प्रभार लेगा, जिसके दौरान उसके काम की जांच की जाएगी। कम से कम 30 स्वतंत्र कार्य में भाग लेने के बाद, वह हार्बर मास्टर पोर्ट के तहत अपना प्रशिक्षण शुरू करेगा।

3.1.1 इसके अतिरिक्त, यदि प्रशिक्षु पायलट आईआईटी मद्रास में सिम्युलेटर प्रशिक्षण या इन-हाउस सिम्युलेटर में 2 सप्ताह की अवधि के लिए प्रशिक्षण लेता है तो उसे 1 महीने की छूट दी जाएगी।

3.2 प्रथम मेट (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-II प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

ग्रेड	प्रशिक्षण अवधि
प्रथम मेट जी/ड्रेज मास्टर ग्रेड II	(i) 12 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, उन्हें एचएमआर और एमएमओएच सहित गठित समिति द्वारा आयोजित प्रारंभिक मौखिक परीक्षा में शामिल होना होगा। (ii) प्रारंभिक मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के 2 महीने बाद, यानी 14 महीने की कुल प्रशिक्षण अवधि के बाद, अपनी कुल प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम से कम 100 कार्य पूरे करने के अधीन, वह ग्रेड III पार्ट ए पायलट परीक्षा में शामिल होगा, (iii) ग्रेड III पार्ट ए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, वह 3 महीने की अवधि के लिए ग्रेड III पायलटों के लिए निर्धारित अधिकतम ड्राफ्ट और लंबाई वाले जहाजों का स्वतंत्र प्रभार संभालेगा, जिसके दौरान उसका काम परीक्षा के अधीन होगा। कम से कम 30 स्वतंत्र कार्य में भाग लेने के बाद, वह हार्बर मास्टर पोर्ट के तहत अपना प्रशिक्षण शुरू करेगा।

3.2.1 इसके अतिरिक्त, यदि प्रशिक्षु पायलट आईआईटी मद्रास में सिम्युलेटर प्रशिक्षण या इन-हाउस सिम्युलेटर में 2 सप्ताह की अवधि के लिए प्रशिक्षण लेता है तो उसे 1 महीने की छूट दी जाएगी।

3.3 सेकंड मेट (एफजी)/ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

(i) वह बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महानिदेशक शिपिंग द्वारा आयोजित प्रथम मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-1 और फंक्शन-III में शामिल होगा:

(ii) इसके बाद, उसे उसी स्तर पर रखा जाएगा जैसा कि फर्स्ट मेट (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड -II प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए लागू है।

3.4 बीएससी नॉटिकल साइंस सर्टिफिकेट के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

(i) वह बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, महानिदेशक शिपिंग द्वारा निर्धारित और संचालित द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III की लिखित/मौखिक परीक्षाओं में उपस्थित होगा।

(ii) महानिदेशक शिपिंग द्वारा आयोजित द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III उत्तीर्ण करने के बाद, उन्हें उसी स्तर पर रखा जाएगा जैसा कि द्वितीय मेट (एफजी) / ड्रेज मेट ग्रेड -I प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए लागू है।

4.0 हार्बर मास्टर (पोर्ट) के अधीन कोलकाता पायलटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

- (i) हार्बर सेक्शन में स्थानांतरण के बाद, पार्ट-ए, ग्रेड-III परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षु पायलट को चार (4) महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण लेना होगा, जिसके दौरान उसे कम से कम 80 कार्यों में भाग लेना होगा।
- (ii) वह अपने प्रशिक्षण की प्रगति पर प्रारंभिक मौखिक परीक्षा में एचएमपी को संतुष्ट करेगा और एसएमपी को संतुष्ट करने पर, वह ग्रेड III-भाग बी पायलट लाइसेंस के लिए परीक्षा में उपस्थित होगा।
- (iii) ग्रेड III-पार्ट बी पायलट लाइसेंस के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे पायलट लाइसेंस जारी किया जाएगा और पायलटों के लिए नियमित वेतनमान में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद, उसे हार्बर सेक्शन में आगे के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए एक और महीना बिताना होगा, जिसके दौरान उसका वास्तविक प्रदर्शन निगरानी में रहेगा और वह नियमित पायलट के रूप में पोस्टिंग के लिए पात्र होगा। हालाँकि, पद पर पुष्टि उसके काम की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

5.0 हार्बर मास्टर (नदी) के अधीन हल्दिया पायलटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.1 मास्टर (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I और समकक्ष प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

श्रेणी	प्रशिक्षण अवधि
मास्टर एफजी/ड्रेज मास्टर ग्रेड I	(i) 06 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, वह एचएमआर और एमएमओएच सहित गठित समिति द्वारा आयोजित प्रारंभिक मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होगा। इसके बाद, उपरोक्त परीक्षा पास करने पर वह ग्रेड III पायलट परीक्षा के भाग ए में शामिल होने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उसने अपने प्रशिक्षण अवधि के दौरान 100

	कार्य पूरा कर लिया हो।
	(ii) ग्रेड III पार्ट ए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे हल्दिया पायलट लाइसेंस जारी किया जाएगा तथा पायलटों के नियमित वेतनमान में समायोजित किया जाएगा। हालांकि, पद पर पुष्टि उनके कार्य की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

5.1.1 इसके अतिरिक्त, यदि प्रशिक्षक पायलट 2 सप्ताह की अवधि के लिए इन-हाउस सिम्युलेटर अथवा आईआईटी मद्रास में सिम्युलेटर प्रशिक्षण लेता है तो उसे 1 महीने की छूट दी जाएगी।

5.2 प्रथम मेट (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-III प्रमाणपत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

ग्रेड	प्रशिक्षण अवधि
प्रथम मेट जी/ड्रेज मास्टर ग्रेड II	9 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, उसे एचएमआर और एमएमओएच वाली समिति द्वारा आयोजित प्रारंभिक मौखिक परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके बाद, उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, वह ग्रेड III पायलट परीक्षा के भाग ए के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उसने अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान 100 कार्य की हों।
	(ii) ग्रेड III पार्ट ए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे हल्दिया पायलट लाइसेंस जारी किया जाएगा और पायलटों के नियमित वेतनमान में समायोजित किया जाएगा। हालांकि, पद पर स्थायीकरण उसके काम की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

5.2.1 इसके अतिरिक्त, यदि प्रशिक्षु पायलट आईआईटी मद्रास में सिम्युलेटर प्रशिक्षण या इन-हाउस सिम्युलेटर में 2 सप्ताह की अवधि के लिए प्रशिक्षण लेता है तो उसे 1 महीने की छूट दी जाएगी।

5.3 सेकंड मेट (एफजी)/ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

(i) वह बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महानिदेशक शिपिंग द्वारा आयोजित प्रथम मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III में शामिल होगा;

(ii) इसके बाद, उसे उसी स्तर पर रखा जाएगा जैसा कि प्रथम मेट (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड- II प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए लागू है।

5.4 बीएससी नॉटिकल साइंस सर्टिफिकेट के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

(i) वह बारह (12) महीने के प्रशिक्षण के पूरा होने पर महानिदेशक शिपिंग द्वारा निर्धारित और आयोजित द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-1 और फंक्शन-III की लिखित/मौखिक परीक्षाओं के लिए उपस्थित होगा।

(ii) नौवहन महानिदेशालय द्वारा आयोजित द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-1 और फंक्शन-III उत्तीर्ण करने के बाद

उन्हें उसी स्तर पर रखा जाएगा जैसा कि सेकेंड मेट (एफजी)/ ड्रेज मेट ग्रेड-1 प्रमाण-पत्र सहित शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए लागू है।

6.0 नदी सर्वेक्षण सेवा से पायलट सेवा में स्थानांतरित अधिकारियों का प्रशिक्षण

(1) न्यूनतम पांच (5) वर्ष की सेवा और 40 वर्ष की आयु सीमा के भीतर नदी सर्वेक्षण सेवा के उपयुक्त अधिकारियों को पायलट सेवा में स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि संबंधित अधिकारी और एसएमपीके द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति हो।

(ii) ऐसे स्थानांतरित अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर समुद्री विभाग के निदेशक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(iii) नदी सर्वेक्षण अधिकारी, जिनके पास पत्तन के स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए जहाज के लिए पहले से ही पायलट लाइसेंस है, उन्हें कम से कम 50 कार्यों में भाग लेने के बाद हार्बर मास्टर (नदी) और प्रबंधक समुद्री परिचालन, हल्दिया की समिति द्वारा किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन में संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन ग्रेड III पायलट परीक्षा के भाग-ए के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने से पहले नदी पायलट में न्यूनतम छह (6) महीने का प्रशिक्षण लेना होगा।

(iv) ग्रेड-III पायलट परीक्षा के भाग-ए में उत्तीर्ण होने पर, उसे उसी स्तर पर रखा जाएगा जैसा कि उन प्रशिक्षुओं के लिए लागू है जिन्होंने ग्रेड-III पायलट परीक्षा के भाग-ए में उत्तीर्ण किया है।

7.0 बर्थिंग मास्टर सेवा से पायलट सेवा में स्थानांतरित अधिकारियों का प्रशिक्षण।

(i) डॉक पायलट के रूप में न्यूनतम पांच (5) वर्ष की सेवा और 40 वर्ष की आयु सीमा के साथ बर्थिंग सेवा के उपयुक्त इच्छुक अधिकारियों को पायलट सेवा में स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते कि उनके पास द्वितीय मेट (एफजी) या ड्रेज मेट-ग्रेड-1 प्रमाण पत्र हो या उन्होंने महानिदेशक शिपिंग द्वारा निर्धारित और आयोजित द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन 1 और फंक्शन-III लिखित/मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) बर्थिंग सेवा के चयनित अधिकारी को आगे के प्रशिक्षण के उद्देश्य से द्वितीय मेट (एफजी) के रूप में योग्यता प्रमाण पत्र के साथ प्रशिक्षु पायलटों के समान स्तर पर रखा जाएगा।

7.1 नदी सर्वेक्षण सेवा और बर्थिंग सेवा के अधिकारियों को जब हल्दिया में पायलट संवर्ग में स्थानांतरित किया जाएगा, तो उन्हें कोलकाता पायलटों के लिए लागू हार्बर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

7.2 उच्च ग्रेड के लिए अर्हता समय:

7.2.1. कोलकाता-नदी-खंड

i. ग्रेड-II

नियमित पायलट के रूप में नियुक्ति होने पर, पदधारी हार्बर सेक्शन में छह (6) महीने की अवधि के लिए ग्रेड III। पायलट के रूप में काम करेगा और उसके बाद, तीन (3) साल की अवधि के लिए नदी और हार्बर सेक्शन में बारी-बारी से काम करेगा। इसके बाद, वह ग्रेड II पायलट की परीक्षा देने के लिए योग्य हो जाएगा। इस परीक्षा को पास करने पर, ग्रेड III पायलट योग्य हो जाएगा और उसे ग्रेड II पायलट के रूप में पदनामित किया जाएगा।

ii. ग्रेड-I

ग्रेड II पायलट को नदी और हारबर अनुभाग में बारी-बारी से काम करना होगा और ग्रेड II पायलट के रूप में नदी में बारह (12) महीने की अवधि तक काम करने के बाद वह ग्रेड I पायलट की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा। इस परीक्षा को पास करने और पायलट के रूप में कुल बारह (12) वर्ष की सेवा पूरी करने पर, वह योग्य हो जाएगा और उसे ग्रेड I पायलट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

7.2.2 कोलकाता-हार्बर खंड

हारबर अनुभाग में समायोजन निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जाएगा:-

i) ग्रेड II में समायोजन

वह रिवर सेक्शन में ग्रेड II पायलट होंगे और उन्होंने हार्बर सेक्शन में ग्रेड III पायलट के रूप में 150 कार्य संतोषजनक ढंग से पूरे किए होंगे।

ii) समायोजन ग्रेड I

उन्हें रिवर सेक्शन में ग्रेड I पायलट होना चाहिए तथा हार्बर सेक्शन में ग्रेड II पायलट के रूप में 200 कार्य संतोषजनक ढंग से पूरे करने चाहिए।

7.2.3. हल्दिया पायलट

i) ग्रेड-II

नियमित पायलट के रूप में नियुक्ति होने पर, पदधारी तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए ग्रेड III। हल्दिया पायलट के रूप में काम करेगा। इसके बाद, वह ग्रेड II हल्दिया पायलट की परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो जाएगा। इस परीक्षा को पास करने पर, ग्रेड III हल्दिया पायलट योग्य हो जाएगा और उसे ग्रेड II हल्दिया पायलट के रूप में पदनामित किया जाएगा।

ii) ग्रेड-I

ग्रेड II हल्दिया पायलट बारह (12) महीने की अवधि के लिए ग्रेड II हल्दिया पायलट के रूप में काम करने के बाद ग्रेड I हल्दिया पायलट की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा। इस परीक्षा को पास करने और पायलट के रूप में बारह (12) साल की सेवा पूरी करने पर, वह ग्रेड I हल्दिया पायलट के रूप में योग्य और ग्रेडेड हो जाएगा।

7.3 हल्दिया पायलट का कोलकाता पायलट के पद पर स्थानांतरण: हल्दिया पायलट को कोलकाता स्थानांतरित किए जाने के बाद कोलकाता चैनल में नए सिरे से प्रशिक्षण लेना होगा और कोलकाता पायलटों के लिए निर्धारित अपेक्षित परीक्षाएँ उत्तीर्ण करनी होंगी। इस तरह के प्रशिक्षण की अवधि अधिकारी की योग्यता और अनुभव के आधार पर समुद्री विभाग के निदेशक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

7.4 कार्य कार्यक्रम

i) पायलट ग्रेड I, ग्रेड II और ग्रेड III को टन भार, लंबाई और ड्राफ्ट के जहाजों को चलाने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर एचएम (पी) और एचएम (आर) द्वारा विभिन्न ग्रेड के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के साथ-साथ जब आवश्यक समझा जाता है, तो एचएम (पी) और एचएम (आर) के पास पायलटों को अपने ग्रेड के अलावा अन्य ग्रेड के जहाजों को संभालने का निर्देश देने का अधिकार होगा।

ii) पायलटों को पायलट ड्यूटी के अलावा अपने कार्यक्षेत्र में प्रशासन द्वारा उन्हें सौंपे गए अन्य कार्य भी करने होंगे। पायलट, चाहे वह किसी भी ग्रेड का हो, शेड्यूल के अनुसार हार्बर और रिवर सेक्शन में बारी-बारी से काम करेगा। हालांकि, समुद्री विभाग के निदेशक किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में बदल सकते हैं या काम की अनिवार्यता के अनुसार किसी भी समय किसी भी सेक्शन में किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग की अवधि को बढ़ा या घटा सकते हैं।

अध्याय III

नदी सर्वेक्षण सेवा

8. प्रवेश योग्यता: नदी सर्वेक्षण सेवा में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता निम्नलिखित में से कोई एक होगी:

i) प्रथम मेट (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-II के रूप में योग्यता प्रमाणपत्र;

या

ii) सेकंड मेट (एफजी)/ड्रेज मेट ग्रेड-I के रूप में योग्यता प्रमाणपत्र;

या

iii) न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीएससी नॉटिकल साइंस।

9. ग्रेड/पदनाम:

- i) नदी सर्वेक्षण सेवा में प्रवेश करने वाले को परिवीक्षाधीन हाइड्रोग्राफर के रूप में जाना जाएगा।
- ii) परिवीक्षाधीन हाइड्रोग्राफर के प्रशिक्षण की अवधि निदेशक, समुद्री विभाग द्वारा उनकी प्रवेश योग्यता, अभिरुचि और प्रशिक्षण की प्रगति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- iii) दो विभागीय परीक्षाएँ होंगी। हाइड्रोग्राफी और संबद्ध विषयों पर प्रत्येक विभागीय परीक्षा में तीन खंड शामिल होंगे, अर्थात् व्यावहारिक, लिखित और मौखिक, जो एसएमपीके के मुख्य हाइड्रोग्राफर की अध्यक्षता में न्यूनतम तीन परीक्षकों के बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाएंगे।

10.1. प्रथम मेट (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-II प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रोबेशनरी हाइड्रोग्राफर्स के लिए:

- i) बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, वह डीएमडी द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष हाइड्रोग्राफी और संबद्ध विषयों पर पहली विभागीय परीक्षा में उपस्थित होगा।
- ii) प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा करने पर अर्थात् न्यूनतम चौबीस (24) महीने के कुल प्रशिक्षण के पश्चात, उसे डीएमडी द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष हाइड्रोग्राफी और संबद्ध विषयों पर अंतिम विभागीय परीक्षा देनी होगी। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे वरिष्ठ हाइड्रोग्राफर के रूप में नामित किया जा सकता है।
- iii) उम्मीदवार अंतिम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के छह महीने बाद पत्तन के स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए जहाजों के लिए पायलट परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा। पायलट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे मास्टर हाइड्रोग्राफर के रूप में नामित किया जा सकता है।

10.2 सेकंड मेट (एफजी) / ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रोबेशनरी हाइड्रोग्राफर्स के लिए:

- i) वह बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महानिदेशक शिपिंग द्वारा आयोजित प्रथम मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन 1 और फंक्शन III के लिए उपस्थित होगा;
- ii) इसके बाद, उन्हें उसी स्तर पर रखा जाएगा जैसा कि प्रथम मेट (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड- II प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले परिवीक्षाधीन हाइड्रोग्राफरों के लिए लागू है।

10.3 बीएससी नॉटिकल साइंस सर्टिफिकेट के साथ शामिल होने वाले प्रोबेशनरी हाइड्रोग्राफर्स के लिए:

- i) वह बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, महानिदेशक शिपिंग द्वारा निर्धारित और आयोजित द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-1 और फंक्शन-III की लिखित/मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होगा।
- ii) वह द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III उत्तीर्ण करने के बारह (12) महीने बाद महानिदेशक शिपिंग द्वारा आयोजित प्रथम मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III के लिए उपस्थित होगा, अर्थात् कुल 24 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर;
- iii) इसके बाद, उन्हें उसी स्तर पर रखा जाएगा जैसा कि प्रथम मेट (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड- II प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले परिवीक्षाधीन हाइड्रोग्राफरों के लिए लागू है।

ड्रेजर और डिस्पैच सेवा

11. प्रवेश योग्यताएं: ड्रेजर और डिस्पैच सेवा में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताएं निम्नलिखित में से कोई एक होंगी:-

i) मास्टर (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I या समकक्ष के रूप में योग्यता प्रमाणपत्र;

या

ii) प्रथम मेट (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-II के रूप में योग्यता प्रमाणपत्र;

या

iii) सेकंड मेट (एफजी)/ड्रेज मेट ग्रेड- I के रूप में योग्यता प्रमाणपत्र;

या

iv) बीएससी नॉटिकल साइंस न्यूनतम 60% अंकों के साथ/ड्रेज मेट ग्रेड-III।

11.1 मास्टर (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-I और समकक्ष प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

i) मास्टर (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड - I / समकक्ष प्रमाण पत्र धारक अधिकारी प्रोबेशनरी कमांडर, ड्रेजर और डिस्पैच सेवा में शामिल हो सकता है।

ii) उसे पत्तन के जहाजों पर कम से कम एक (1) वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें से छह महीने उसे डिस्पैच कार्य पर खर्च करने होंगे। इसके बाद, वह पत्तन के स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए जहाजों के लिए पायलट परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

iii) छह (6) महीने की अतिरिक्त अवधि के प्रशिक्षण के पूरा होने पर, वह कमांडर के रूप में ड्रेजर और डिस्पैच पोत का स्वतंत्र प्रभार लेने के लिए पात्र होगा।

11.2 प्रथम मेट (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-II प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

i) प्रथम मेट (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड II प्रमाण पत्र धारक अधिकारी ड्रेजर एवं डिस्पैच सेवा में प्रोबेशनरी चीफ ऑफिसर के रूप में शामिल होगा।

ii) उसे बंदरगाह के जहाजों पर कम से कम एक (1) वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें से छह महीने उसे डिस्पैच कार्य पर बिताने होंगे। इसके बाद, वह पत्तन के स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए जहाजों के लिए पायलट परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

iii) पायलट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छह (6) महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रशिक्षण पूरा करने पर, यानी कुल डेढ़ (1 1/2) वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने पर, वह ड्रेज मास्टर ग्रेड-I परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

iv) ड्रेज मास्टर ग्रेड-I परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उपयुक्त रिक्ति की उपलब्धता के अधीन, उसे कमांडर के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है।

v) ड्रेज मास्टर ग्रेड-। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छह (6) महीने के प्रशिक्षण की अवधि पूरी करने पर, वह कमांडर के रूप में ड्रेजर और डिस्पैच पोत का स्वतंत्र प्रभार लेने के लिए पात्र होगा।

11.3 सेकंड मेट (एफजी)/ड्रेज मेट ग्रेड-। प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए:

i) सेकंड मेट (एफजी)/ड्रेज मेट ग्रेड। प्रमाण पत्र धारक अधिकारी प्रोबेशनरी सेकंड ऑफिसर, ड्रेजर और डिस्पैच सेवा में शामिल हो सकता है।

ii) उसे पत्तन के जहाजों पर कम से कम डेढ़ (1 1/2) साल की ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसमें से छह महीने डिस्पैच कार्य पर खर्च करने होंगे। इसके बाद, वह ड्रेज मास्टर ग्रेड II परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

iii) ड्रेज मास्टर ग्रेड-II परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उन्हें प्रोबेशनरी चीफ ऑफिसर के रूप में नामित किया जा सकता है और उन्हें उसी स्तर पर रखा जा सकता है, जैसा कि फर्स्ट मेट (एफजी) / ड्रेज मास्टर-ग्रेड-II प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रोबेशनर्स के लिए लागू होता है।

11.4 बी.एस.ई./नॉटिकल साइंस/ड्रेज मेट ग्रेड-II प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए

i) ड्रेज मेट-ग्रेड-II या बीएससी नॉटिकल साइंस सर्टिफिकेट धारक अधिकारी, प्रशिक्षु के रूप में ड्रेजर एवं डिस्पैच सेवा में शामिल होगा।

ii) उसे बंदरगाह के जहाजों पर कम से कम डेढ़ (1 1/2) साल का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें से छह महीने उसे डिस्पैच कार्य पर बिताने होंगे। इसके बाद, वह ड्रेज मेट-ग्रेड-I परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

iii) ड्रेज मेट-ग्रेड-I परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे प्रोबेशनरी सेकंड ऑफिसर के रूप में नामित किया जा सकता है और उसी स्तर पर रखा जा सकता है जैसा कि द्वितीय मेट (एफजी) / ड्रेज मेट ग्रेड I प्रमाण पत्र के साथ शामिल होने वाले प्रोबेशनरों के लिए लागू होता है।

अध्याय-V

बर्थिंग सेवा

12 प्रवेश योग्यता: बर्थिंग सेवा में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता मास्टर (एचटी) या मास्टर (एनसीवी) या सेकंड मेट (एफजी) या ड्रेज मेट ग्रेड -1 या बीएससी नॉटिकल साइंस के रूप में योग्यता प्रमाणपत्र होगी, जिसमें कुल मिलाकर न्यूनतम अंक 60% होंगे।

12.1 कार्यभार ग्रहण करने पर अधिकारी को अप्रेंटिस डॉक पायलट के रूप में पदनामित किया जाएगा।

12.2 उसे उप डॉक मास्टर की देखरेख में एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा तथा मौखिक परीक्षा के लिए उसके समक्ष उपस्थित होना होगा।

12.3 इसके बाद, उसे एक वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण लेना होगा और प्रशिक्षण की प्रगति के आधार पर एचएमपी या एमएमओएच को संतुष्ट करना होगा, जो प्रासंगिक हो। एचएमपी या एमएमओएच को संतुष्ट करने पर, वह मरीन सर्विस बोर्ड के तहत डॉक पायलट परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

12.4 डॉक पायलट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उसे डॉक पायलट के रूप में पदनामित किया जा सकता है और डॉक पायलट के नियमित वेतनमान में समायोजित किया जा सकता है।

अध्याय-VI

विनियम के प्रावधान का निरसन, व्याख्या और शिथिलता

13.1 निरसन: जीएसआर 24(ई) दिनांक 21.01.1990 के अंतर्गत अधिसूचित कलकत्ता पायलट सेवा (हल्दिया गोदी परिसर के अलावा) (प्रशिक्षण, ग्रेडिंग और वरिष्ठता) विनियम, 1990 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

बशर्ते -

(क) ऐसा निरसन उक्त विनियमों या आदेशों या प्रथाओं या उसके अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा; और

(ख) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर उक्त विनियमों के अंतर्गत लंबित कोई भी कार्यवाही, जहां तक संभव हो, इन विनियमों के अनुसार संचालित और निपटाई जाएगी।

13.2 व्याख्या: इनमें से किसी भी विनियमन की व्याख्या और अनुप्रयोग के बारे में किसी भी संदेह या मतभेद के मामले में, इसे एसएमपीके के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

13.3 विनियमन के प्रावधान में छूट: इन विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सरकार अपने विवेक से, कार्य या स्थिति की अनिवार्यताओं के आधार पर इनमें उल्लिखित किसी भी विनियम में छूट दे सकती है, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे।